यू टी आर संख्या(UTR No.)																

परिशिष्ट-'क'

एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड
Agriculture Insurance Company of India Limited (AIC)

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना / Pradhan Mantri Fasal Bima Yojane (PMFBY)

(घोषणा पत्र / Declaration Form : ऋणी कृषक/Loanee Farmers)

सेवा में,	बैंक शाखा का नाम एवं पता :
एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड (ए०आई०सी०)	
क्षेत्रीय कार्यालय : सांघी उपासना टावर्स, चौथी मंजिल, सी-98, सुभाष मार्ग,	फोन नंबर :
सी-स्कीम, अहिंसा सर्किल के पास, जयपुर-302001 (राजस्थान)	खाता संख्या :
सम्पर्क के लिए फोन नं. : 0141-4042999, फैक्स : 0141-4042998,	आई एफ एस कोड :
ई-मेल : ro.jaipur@aicofindia.com वेबसाइट : www.aicofindia.com	फैक्स नंबर :
	ई-मेल : (उपरोक्त विवरण बैंक शाखा से संबंधित है)

यह प्रमाणित किया जाता है कि (i) हमारे कार्यालय के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत शाखा/शाखाओं/PACS द्वारा कोई भी फसली ऋण/ऋणी कृषक जो कि कवरेज के लिए पात्र है, छुटा नहीं है (ii) कवरेज के लिए पात्र सभी स्वीकृत/नवीनीकृत केसीसी ऋण को ऋण वितमान के अनुसार शामिल किया गया है (iii) फसली ऋणों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक/नाबार्ड द्वारा समय-समय पर जारी सभी दिशा-निर्देशों का पालन किया गया है।

स्थान : ....

दिनांक : ....

हस्ताक्षरकर्ता का नाम : नोडल बैंक/बैंक शाखा के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर और मोहर

पदनाम

अनुसूची

घोषणा पत्र संख्या : ....
(बैंक द्वारा भरा जायेगा)

कृषक की श्रेणी	SC	ST	Other	General
लिंग	Male		Female	

(✓ करें)

राज्य : राजस्थान मौसम(Season) : खरीफ/रबी वर्ष : .... फसल का नाम : ....

जिला : ....तहसील : ....भूअभिलेख नि.वृत : ....पटवार वृत्त : ....
(राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार)

बीमित राशि (प्रति हेक्ट०) : .... कृषक द्वारा देय प्रीमियम (प्रति हेक्ट०)...............

कृषक श्रेणी	कृषक संख्या	क्षेत्रफल (हे०)	कुल बीमित राशि (₹) (क्षेत्रफल X बीमित राशि (प्रति हेक्ट०)	कृषक द्वारा देय प्रीमियम (₹) (देय प्रीमियम (प्रति हेक्ट०) X कोलम 3)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. लघु/सीमांत				
2. अन्य				
योग				

डी०डी०/आरटीजीएस/एनईएफटी नंबर : .... दिनांक : .... राशि : ....

....ए०आई०सी० क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा भरा जायेगा.......................................

सर्टिफिकेट संख्या													
लॉट संख्या													

रसीद संख्या								घोषणा पत्र प्राप्त करने की तिथि							

नोट : कृपया घोषणा पत्र भरने हेतु पीछे दिये गये दिशा-निर्देशों को देखें।

घोषणा पत्र भरने हेतु मार्ग-निर्देश

1. इस घोषणा पत्र का उपयोग सिर्फ ऋणी कृषकों के लिए किया जायेगा।
2. प्रत्येक फसल एवं प्रत्येक अधिसूचित क्षेत्र के लिए अलग-अलग घोषणा पत्र प्रस्तुत करने होंगे।
3. कृषकों की श्रेणी (SC/ST/Others/General) एवं Male/Female) के अनुसार अलग-अलग घोषणा पत्र प्रस्तुत करने होंगे।
4. घोषणा पत्र की एक प्रति अनिवार्य रूप से निर्धारित नियत तिथि के अन्दर एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर को भेजना है। (बैंक अपने रिकार्ड के लिए एक प्रति अपने पास रखें)
5. नोडल बैंक/बैंक शाखा का पूरा पता, दूरभाष नम्बर सहित, लिखा होना चाहिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर, निर्विघ्न रूप से पत्र व्यवहार किया जा सके।
6. घोषणा करते समय यह सावधानी आवश्यक है कि आच्छादित फसली ऋण योजना के सभी प्रावधानों/दिशा-निर्देशों एवं राज्य स्तरीय फसल बीमा समन्वय समिति द्वारा लिए गये निर्णय के क्रम में जारी अधिसूचना की दृढ़ स्वीकृति के अनुसार है।
7. बैंक द्वारा भेजे गये घोषणा-पत्रों के संबंध में जब कोई स्पष्टीकरण एग्रीकल्चर इंश्योरेन्स कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, क्षेत्रीय कार्यालय के द्वारा मांगा जाये तो उसे अनिवार्य रूप से 15 दिन के भीतर भेजना होगा। उसके बाद प्राप्त स्पष्टीकरण को एग्रीकल्चर इंश्योरेन्स कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा किसी भी अभिप्राय के लिये स्वीकार नहीं किया जायेगा, चाहे वह दावों से जुड़ा हुआ ही क्यों न हो।
8. कृषक जिनकी जोत 2 हेक्टेयर या उससे कम है, लघु एवं सीमान्त श्रेणी के कृषक माने जायेंगे। घोषणा पत्र पर अधिसूचित क्षेत्र का अंकन, कृषक द्वारा बीमा के लिए प्रस्तावित भूमि के स्थान जहां पर संसूचित फसल उगाई जा रही है, के अनुसार होगा न कि कृषक के निवास/पत्राचार के पते अनुसार।
9. समेकित प्रीमियम राशि RTGS/NEFT द्वारा ही प्रेषित करें तथा भेजे जाने वाले संबन्धित प्रत्येक घोषणा पत्र के ऊपर दिये गए बॉक्स में ट्रैंजैक्शन संख्या (UTR No.) अंकित करें।
10. योजना के अन्तर्गत आच्छादित कृषकों का विवरण निश्चित प्रपत्र में हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में घोषणा पत्र के साथ अवश्य प्रेषित करना है।
11. बैंक द्वारा किसी भी प्रकार की चूक या त्रुटी से होने वाले नुकसान/दावों की भरपाई के लिए बैंक स्वयं उत्तरदायी होगा।
12. अनुसूची भरने के लिए विशेष दिशा-निर्देश :

    क) प्रत्येक घोषणा पत्र में सही अधिसूचित क्षेत्र और फसल को ध्यानपूर्वक अंकित किया जाना चाहिए। किसी भी अधिसूचित क्षेत्र/फसल में परिवर्तन/सुधार के लिए निर्धारित अन्तिम तिथि से 15 दिन पहले सूचित किया जाना चाहिए। इसके बाद कोई भी अनुरोध पर एआईसी विचार नहीं करेगी।

    ख) प्रत्येक कृषक की बीमित राशि अधिसूचित फसल के क्षेत्रफल एवं अधिसूचित फसल के ऋण वित्तमान के गुणनफल के बराबर होगी।

    ग) कृषकों द्वारा देय प्रीमियम राशि = कृषक द्वारा देय प्रीमियम (प्रति हेक्ट०) X बीमित क्षेत्रफल

    घ) अधिसूचना में उल्लिखित निर्धारित अन्तिम तिथि के भीतर घोषणा पत्र के साथ प्रीमियम राशि एवं आच्छादान विवरण एग्रीकल्चर इंश्योरेन्स कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, क्षेत्रीय कार्यालय, सांघी उपासना टॉवर्स, चौथी मंजिल, सी-94, सुभाष मार्ग, "सी" स्कीम, अहिंसा सर्किल के पास, जयपुर-302001 (राजस्थान) को अनिवार्य रूप से प्राप्त होना है। निर्धारित अन्तिम तिथि के बाद प्राप्त प्रीमियम राशि, घोषणा पत्र एवं अन्य प्रपत्र स्वीकार नहीं किए जायेंगे।

इस घोषणा पत्र में दी गई जानकारी में किसी भी बदलाव के लिए मूल घोषणा पत्र के संदर्भ के साथ संशोधित घोषणा पत्र को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

शिकायत के मामले में निवारण के लिए क्षेत्रीय कार्यालय के शिकायत अधिकारी से सम्पर्क करें
(दूरभाष : 0141-4042995, ई-मेल : ro.jaipur@aicofindia.com))
ए०आई०सी० की वेबसाइट-www.aicofindia.com के माध्यम से शिकायत आनलाइन पंजीकृत किया जा सकता है।

सोचो बीमा फसल की, सोचो हमेशा ए आई सी

CIN No.: U74999DL2002PLC118123

बीमा आग्रह की विषय वस्तु है।